BIADA

प्रबंध निदेशक, बियाडा की अध्यक्षता में दिनांक 19.07.2018 को आयोजित परियोजना समासोधन समिति (पी.सी.सी.) की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति:-

1. श्री आर.एस. श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, बियाडा।
2. श्री उमेश कुमार सिंह, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशक के प्रतिनिधि।
3. श्री एस.पी. राय, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के प्रतिनिधि।
4. श्री सुभाष पटवारी, उपाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्ड0, पटना।
5. श्री भोगेन्द्र लाल, कार्यकारी निदेशक, बियाडा पटना एवं मुजफ्फरपुर।
6. श्री संतोष कुमार सिन्हा, कार्यकारी निदेशक, बियाडा दरभंगा एवं भागलपुर।

कार्यवाही

1. दिनांक 01 से 30 जून, 2018 तक भू-आवंटन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय पटना के लिए 05, दरभंगा के लिए 02, मुजफ्फरपुर के लिए 00 एवं भागलपुर के लिए 00 अर्थात् कुल 07 ऑन-लाईन आवेदन प्राप्त हुए, जो इस प्रकार है:-

2. सर्वश्री डी.के. वेस्ट मैनेजमेंट, औद्योगिक क्षेत्र पण्डॉल:- इनके द्वारा **Bio-Medical Waste** के उद्योग स्थापना हेतु भूखण्ड संख्या 79 रकवा-21780 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। इनकी परियोजना बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश नीति 2016 के तहत प्राथमिक क्षेत्र के मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर अन्तर्गत नहीं आता है।

   निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

3. सर्वश्री श्री दुर्गा पॉलीमर्स, औद्योगिक क्षेत्र, नवादा:- इनके द्वारा **Plastic House Hold Goods (Mug, Tub, Spoon, Container, Tea Filter etc)** के उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट संख्या **B-11**, रकवा-5000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 78 अंक प्राप्त हुए हैं।

   निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र नवादा में प्लॉट संख्या **B-11**, रकवा-5000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

4. सर्वश्री माँ शारदे फर्निचर, औद्योगिक क्षेत्र फतुहा:- इनके द्वारा Moulded Plastic Furniture के उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट संख्या O-6 (Phase-II), रकवा-7500 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 69 अंक प्राप्त हुए हैं।

   निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा में प्लॉट संख्या O-6 (Phase-II), रकवा-7500 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

5. सर्वश्री जे.एस. स्टार, औद्योगिक क्षेत्र, नवादा:- इनके द्वारा Mustard Oil की परियोजना की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या B-1 (P), रकवा-2500 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 72 अंक प्राप्त हुए।

   निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र नवादा में प्लॉट संख्या B-1(P), रकवा-2500 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

6. सर्वश्री अशोक एग्रो फूड, औद्योगिक क्षेत्र, नवादा:- इनके द्वारा Spice and Herbs Processing के उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट संख्या C-8(P) & C-9(P), रकवा-4500 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 71 अंक प्राप्त हुए।

   निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र नवादा में प्लॉट संख्या C-8(P) & C-9(P), रकवा-4500 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

7. सर्वश्री अशरफी कॉर्पस, औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा:- इनके द्वारा Bakery के उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट संख्या O-6(Phase-II), रकवा-7500 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। इनके द्वारा ऑन-लाईन आवेदन में उल्लेखित आँकड़े (Working Capital & Promoter Capital) एवं परियोजना प्रतिवेदन के आँकड़ो में भिन्नता पाई गई। साथ हीं आंवटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन्हें कुल 56 अंक प्राप्त हुए।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

8. सर्वश्री अंजना फूड इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, पण्डॉल:- इनके द्वारा **Long Cylindrical Pellet Papad (Ready to Fry)** के उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट संख्या 75, रकवा-21780 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि इनके द्वारा इस परियोजना के लिए 21780 वर्गफीट भूमि की मांग की गई है, जो कि आवश्यकता से काफी अधिक है। साथ हीं आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 36 अंक प्राप्त हुए, जो निर्धारित अहर्त्ता से कम है।

   निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

अन्यान्य कार्यावली

9. सर्वश्री अम्बे फास्टनर्स प्रा० लि०, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा:- इनके द्वारा अपनी मूल परियोजना शैलोवोल हैण्ड पम्प में **Skill Development and IT Business Centre** के समावेश हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि इनकी प्रस्तावित परियोजना बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत प्राथमिक क्षेत्र के मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत नहीं आती है।

   निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

10. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्:- इनके द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय-सह-प्रयोगशाला भवन के निर्माण हेतु औद्योगिक क्षेत्र भागलपुर एवं गया में 10000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्र गया में आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। साथ हीं औद्योगिक क्षेत्र बरारी भागलपुर में भूखण्ड संख्या D-24(P) रकवा 10880 वर्गफीट भूमि रिक्त है, जो पर्षद् के लिए उपयुक्त होगा।

   निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक बरारी, भागलपुर में प्लॉट संख्या D-24(P), रकवा-10880 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

11. सर्वश्री विजय लक्ष्मी दाल मिल, औद्योगिक क्षेत्र, पूर्णिया सिटी:- दिनांक 21.08.17 को आयोजित पी.सी.सी. की बैठक में सर्वश्री विजय लक्ष्मी दाल मिल को 14281 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्ण इस आधार पर लिया गया कि - उक्त भूखण्ड पर मात्र उनके भूखण्ड से होकर हीं जाया जा सकता है, अर्थात प्रासंगिक भूखण्ड किसी अन्य इकाई के आवंटन योग्य नहीं है। जबकि स्थल पर निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि उक्त भूखण्ड औद्योगिक क्षेत्र के सड़क से जुड़ा हुआ है, जिसे किसी अन्य इकाई को भी आवंटित करने पर सुगमता से उद्योग स्थापित किया जा सकता है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत पाया गया कि उस समय पी.सी.सी. के समक्ष गलत सूचना उपस्थापित की गई, जिसके कारण इस प्रकार का निर्णय हुआ है। अत: प्रबंध निदेशक से अनुरोध किया गया कि गलत सूचना देने वालों पर समुचित कार्रवाई की जाये। इसके साथ हीं दिनांक 21.08.17 के पी.सी.सी. बैठक में सर्वश्री विजय लक्ष्मी को अतिरिक्त आवंटित 14281 वर्गफीट भूमि के निर्णय को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

12. सूक्ष्म एवं लघु प्रक्षेत्र के आवेदकों की सुगमता हेतु परियोजना प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करना:- दिनांक 12.06.18 को आयोजित पी.सी.सी. की बैठक में सूक्ष्म एवं लघु प्रक्षेत्र के आवेदकों की सुगमता के लिए एक परियोजना प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करने का निर्णय लिया गया है, जो ऑन-लाईन आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेगा एवं इसी के आधार पर पी.सी.सी. द्वारा भूआवंटन हेतु निर्णय लिया जायेगा। तद्नुसार, समिति के समक्ष परियोजना प्रतिवेदन का प्रारूप प्रस्तुत किया गया।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि इस प्रारूप पर बिहार उद्योग संघ एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज का मंतव्य प्राप्त कर आगामी पी.सी.सी. में रखा जाये।

13. उद्यमियों की सहुलियत हेतु विभिनन कार्यों के लिए पुर्वानुमति की समीक्षा:- बियाडा के निदेशक पर्षद् की 53वीं बैठक दिनांक 26.06.18 में निर्णय लिया गया कि है:- पी.सी.सी. इस बात की समीक्षा करेगी कि बियाडा के द्वारा किन-किन पुर्वानुमतियों को सशुल्क सूचना में परिवर्तित किया जा सकता है।

निर्णय:- समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव पर बिहार उद्योग संघ एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज का मंतव्य प्राप्त कर आगामी पी.सी.सी. में रखा जाये। साथ हीं इस पर बियाडा द्वारा भी अलग से अपना मंतव्य दिया जायेगा।

14. भूआवंटन हेतु प्राप्त आवेदकों के अनुभव की जाँच:- समिति द्वारा पाया गया कि ऑन-लाईन प्राप्त होने वाले आवेदनों में मात्र आवेदक द्वारा अपना Declaration दिया जाता है कि उन्हें इस कार्य का अनुभव है, परन्तु इससे संबंधित कोई साक्ष्य अपलोड नहीं किया जाता है, जिससे समिति को उनके अनुभव की जाँच करने में कठिनाई होती है।

अतएव, समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक के अनुभव से संबंधित साक्ष्य यथा MSME Registration, License/ Certificate Under Shop & Estd. Act, Sales & IT Return, CST/VAT/GST Certificate, Utility Bill, Current A/C, PAN, Aadhar Card etc ऑन-लाईन आवेदन के साथ अपलोड कराने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/- उपाध्यक्ष बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्ड0, पटना।	ह0/- अध्यक्ष बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के प्रतिनिधि।	ह0/- कार्यकारी निदेशक, बियाडा दरभंगा/भागलपुर।
ह0/- कार्यकारी निदेशक बियाडा, पटना/मुजफ्फरपुर।	ह0/- उप उद्योग निदेशक उद्योग विभाग, पटना।	ह0/- प्रबंध निदेशक बियाडा, पटना।

ज्ञापांक 4151 दिनांक 27/7/18

प्रतिलिपि:- पी0सी0सी0 के सभी सदस्यों/ प्रभारी, प्रबंध निदेशक कोषांग, बियाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/7/18
कार्यकारी निदेशक।